

From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

सन्दिप सुर्वि सुन्दरपारी

बनाम

रामे शाचन्द्र

किस्म मुकदमा :- P-39 A-2(A) C.P.C.

नंबर ...1112 वर्ष 2016

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25-1-24	<p>पवावली पेश हुयी वकील आधी अनुपस्थित। वकील आधी उपस्थित। बार-बार अघाज दिलवाए गये। बार-बार अघाज दिलवाने के बावजूद आधी व वकील आधी में से कोई उपस्थित नहीं। अतः अदम हाजरी। अदम पैरवी में आधी का आर्मान-फर खारिज किया जाता है। पवावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)